न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह आई.ए.एस.

प्र.सं. 31 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 145

1. चनन कौर पुत्री मंगलूदास परित्यकता पत्नी बारा सिंह जाति चण्डाल निवासी 62 एनपी (श्यामगढ़) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजू सिंह पुत्र बारा सिंह श्रीमती चनन कौर परित्यकता पत्नी बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 62 एनपी (श्यामगढ़) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. बलजीत सिंह पुत्र बारा सिंह श्रीमती चनन कौर परित्यकता पत्नी बारा सिंह जाति जटसिख निवासी 62 एनपी (श्यामगढ़) तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–: अप्रार्थीगण

<u>अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश कुमार, वकील प्रार्थीगण
2. श्री राकेश कुमार, अप्रार्थी सं. 1

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 16.01.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. प्रार्थीगण वाद पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया की शादी 37–38 वर्ष पूर्व बारा सिंह पुत्र बहादर सिंह जाति जटसिख निवासी 62 एनपी तहसील रायसिंहनगर के साथ हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुई थी, प्रार्थीया अनुसूचित जाति की महिला है, शादी के पश्चात प्रार्थीया व प्रार्थीया के पूर्व पति बारा सिंह के वैवाहिक संबंधों से प्रार्थीया के तीन पुत्र दिलबाग सिंह, बलजीत सिंह, राजू सिंह व एक पुत्री संजीत कौर उत्पन्न हुए। प्रार्थीया का अपने पति बारा सिंह से वर्ष 2003 में तलाक हो गया। तलाक से पूर्व प्रार्थीया व प्रार्थीया के बच्चों को गुजर बसर करने के लिए प्रार्थीया के पति ने एकमुश्त भरण पोषण के रूप में अपपनी जमीन बेचकर व अपपनी कमाई से 2,50,000 रूपये प्रदान किये थे। जिससके प्रार्थीया ने बाद में अपने परिवार की मदद से अपने नाम से कृषि भूमि क्रय की, वर्तमान में प्रार्थीया अपने पुत्र राजू के साथ निवास कर रही हैं। वर्तमान में प्रार्थीया के नाम से चक 64 एनीप खाता सं. 12 / 13 मु.नं. 2 में 2.530है0 नहरी कृषि भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रार्थीया ने दिनांक 27.02.2004 को धन्नाराम पुत्र लाधूराम जाति मेघवाल निवासी नोखा तहसील व जिला बीकानेर मार्फत मुखत्यारेआम आसाराम पुत्र सदासुख जाति मेघवाल निवासी 67 आरबी से क्रय की थी। प्रार्थीया का पुत्र दिलबाग सिंह वर्तमान में आसाम में कार्य करता है, प्रार्थीया की पुत्री संजीत कौर की शादी हो चुकी हैं, प्रार्थीया का पुत्र दिलबाग सिंह अपने पिता बारा सिंह के साथ घनिष्ठ सम्पर्क में हैं। प्रार्थीया ने अपने नाम की खातेदारी भूमि में भविष्[illegible] को अपने दो पुत्रों राजू सिंह व बलजीत सिंह ने बहिस्सा बराबर [illegible] ही मौखिक घरेलू बंटवारा अनुसार बांद कर दे दी थी। [illegible] लेकिन वसीयत करने के बाद अप्रार्थी बलजीत [illegible] उपजाउ व खराब बताकर प्रार्थीगण के साथ लड[illegible]र्थीया के पूर्व पति बारा सिंह के साथ मिल गया और भूमि में अपने आधे हिस्से को बेचने [illegible] लिए प्रार्थीया को धमकी देने लगा। अप्रार्थी सं. 1 को समझाया कि भूमि केवल काश्त कर[illegible]तु दी गई हैं। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को धमकाते हुए ऐलानिया कहा कि मैं अपने हिस्से की भूमि को बेचूं, गिरवी रखू या किसी को ठेके पर दूं तुमको क्या मतलब और स्पष्ट रूप से इंकार हो गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 को घरेलू बंटवारा में दिये कि.नं. 13,18,19,20 सालम, 23 / 0.038, 24 / .215 को रहन बैय करने व अन्य किसी भी तरीके से हस्तांतरित करने से वर्जित रहे बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबध करने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:38:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर